

Haryana Government Gazette Extraordinary

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 108-2023/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, JUNE 16, 2023 (JYAISTHA 26, 1945 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 16 जून, 2023

संख्या 9/22/2023—4क II.— हरियाणा नगरपालिका वार्ड परिसीमन नियम, 1977 को आगे संशोधित करने के लिए नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) की धारा 257 की उप—धारा (1) के खण्ड (ख) और (ग) की उप—धारा (7) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से बनाने का प्रस्ताव करते हैं तथा उक्त अधिनियम की धारा 257 की उपधारा (5) के अधीन यथा अपेक्षित इससे प्रभावित होने वाले सम्भावय व्यक्तियों की जानकारी के लिए, इसके द्वारा, प्रकाशित किया जाता है।

इसके द्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से दस दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् राज्य सरकार, नियमों के प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों या सुझावों सिहत, यदि कोई हो, जो आयुक्त एवं सिचव, हिरयाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा नियमों के प्रारूप के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किये जाएं, विचार करेगी।

प्रारूप नियम

- ये नियम हिरयाणा नगरपालिका वार्ड पिरसीमन (द्वितीय संशोधन) नियम, 2023 कहे जा सकते हैं।
- 2. हरियाणा नगर पालिका वार्ड परिसीमन नियम, 1977 में, नियम 3 में, उप—नियम (3) के बाद, निम्नलिखित व्याख्या जोड़ी जायेगी, अर्थात्:—
 - 'व्याख्या.— उप—नियम (3) के प्रयोजन हेतु, "जनसंख्या" से अभिप्राय है, अन्तिम पूर्ववर्ती जनगणना, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं, पर सुनिश्चित की गई जनसंख्या।'।

विकास गुप्ता, आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Notification

The 16th June, 2023

No. 9/22/2023-4CII.— The following draft of rules further to amend the Haryana Municipal Delimitation of Ward Rules, 1977, which the Govenor of Haryana proposes to make in exercise of the powers conferred under clauses (b) and (c) of Sub-section (1) and Sub-section (7) of Section 257 of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973) and in consultation with State Election Commission, is hereby published as required under Sub-section (5) of Section 257 of the said Act, for the information of persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the draft of the rules shall be taken into consideration by the State Government on or after the expiry of a period of ten days from the date of publication of this notification in the Official Gazette together with objections or suggestions, if any, which may be received by the Commissioner and Secretary to Government, Haryana, Urban Local Bodies Department, from any person in respect of the draft of rules before the expiry of the period so specified.

DRAFT RULES

- 1. These rules may be called the Haryana Municipal Delimitation of Ward (Second Amendment) Rules, 2023.
- 2. In the Haryana Municipal Delimitation of Ward Rules, 1977, in rule 3, after sub-rule (3), the following explanation shall be added, namely:-

Explanation: For the purpose of sub-rule (3) "population" means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published.'

VIKAS GUPTA, Commissioner and Secretary to Government Haryana, Urban Local Bodies Department.

10431—C.S.—H.G.P., Pkl.